अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री ... श्री ...	

कोमल कंवर बनाम मालसिंह वगैरह(2022/282)

29.5.23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39(2)(क) व सपठित धारा 151 जा0दी0 (कन्टेम्प्ट) पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र हेतु रिजर्व रखी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

28.6.23 प्रार्थना पत्र वास्ते आदेशार्थ पेश किया गया। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 29.05.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39(2)(क) व सपठित धारा 151 जा0दी0 (कन्टेम्प्ट) पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट में अंकित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिजनों द्वारा दिनांक 15.09.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा परित आदेश को जानबूझकर विद्वेषपूर्ण अवज्ञा उल्लंघन कारित करने लाठी डण्डे गेती हथोडे तथा कारीगरों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा लगातार निर्माण कार्य उक्त निर्माण सामग्री डालकर नया बाउण्ड्रीवाल व मौके पर नींव खोदना शुरू कर दिनांक 15.09.2022 से 27.09.2022 तक लगातार निरन्तर कार्य जारी रखा है उक्त छायाचित्र निर्माण कार्य पत्रावली पर पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 उक्त वर्णित रूप से दिनांक 15.09.2022 से दिनांक 27.09.2022 तक वादग्रस्त कृषि भूमि पर निरन्तर निर्माण कार्य जारी रखा हुआ है अप्रार्थीगण के परिवारजन को अनाधिकृत व अवैधानिक तौर पर निर्माण करने से रोका व मना किया जाना तथा माननीय न्यायलय की यथास्थिति के आदेश का खुला उल्लंघन (अवज्ञा) कारित करने व वादग्ररत्त कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोका व मना किया गया तथा माननीय न्यायालय से यथास्थिति की जानकारी होने के बावजूद फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 निर्माण अनाधिकृत कार्य जारी रखे हुए है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा माननीय न्यायालय की यथास्थिति में निर्माण की कर्ता की तामिरात में दिनांक 15.09.2022 से विवादित कृषि भूमि पर छत तक निर्माण कार्य करना एवं छत डालना तथा मकान के सामने नीवं खोदना आदि अविधिक रूप से माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए निरन्तर निर्माण कार्य जारी रखे हुए है। अभिभाषक प्रार्थी ने अंपनी बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य की सूचना पुलिस थाना पुष्कर अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 को दिनांक 16.09.2022 व दिनांक 22.09.2022 तथा दिनांक 25.09.2022 को निरन्तर शिकायत करने पर तथा लेकिन न्यायालय के आदेश की पालना उक्त अप्रार्थीगणों ने दी गई लेकिन उक्त अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थीया को यह कहा गया कि आप कोर्ट जाए हम कुछ नही कर सकते और मौके पर जाकर उल्टा अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर मौके पर उपस्थित होकर निर्माण करवाया जो कि उक्त कार्य उक्त व्यक्तियों द्वारा आपराधिक आशय से उक्त कार्य में सहयोग करके माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा अवज्ञा की है। उक्त तथ्य की जानकारी अप्रार्थी संख्या 7 को दी गई तो अप्रार्थी संख्या 7 ने कार्यवाही करने से मना कर दिया एवं कहा कि कोर्ट में जाकर कार्यवाही करें माननीय न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति एवं सम्मान ना कर आने पदीय हैसियत एवं दायित्वों का निर्वहन ना कर घोर उपेक्षा एवं अवहेलना कारित की है माननीय न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 15.09.2022 ने जानबूझकर अवज्ञा का उल्लंघन कारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 तक विभागीय तौर पर एवं पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के अधीन माननीय न्यायालय के आदेश की जानबूझकर पालना नही किये जाने हेतु दण्डात्मक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया जावे एवं माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 8

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

पुष्कर अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

282/2022 केस प्रपत्र ...

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री ... श्री ...

लगातार

को अधिकतम कालावधि हेतु सिविल कारावास में भेजे जाने बाबत एवं आर्थिक शास्ति से दण्डित करने के आदेश फरमावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन कि दिनांक 15.09.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा परित आदेश को जानबूझकर विद्वेषपूर्ण अवज्ञा उल्लंघन कारित करने लाठी डण्डे गेती हथोडे तथा कारीगरों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा लगातार निर्माण कार्य उक्त निर्माण सामग्री डालकर नया बाउण्ड्रीवाल व मौके पर नींव खोदना शुरू कर दिनांक 15.09.2022 से 27.09.2022 तक लगातार निरन्तर कार्य जारी रखा है उक्त छायाचित्र निर्माण कार्य पत्रावली पर पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 उक्त वर्णित रूप से दिनांक 15.09.2022 से दिनांक 27.09.2022 तक वादग्रस्त कृषि भूमि पर निरन्तर निर्माण कार्य जारी रखा हुआ है तथा न्यायालय का उल्लघंन व अवहेलना कर निर्माण कार्य किया है इसलिए अधिकतम कालावधि हेतु सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावें तथा आर्थिक शास्ति आरोपित की जाने के आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थी संख्या 01से 03 ने विवादित आराजी पर न्यायालय के द्वारा पारित सगिन आदेश दिनांक 15.09.2022 के पश्चात किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया तथा ना ही मान्नीय न्यायालय के आदेश की अवमनना की गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ केवल फोटो प्रस्तुत किये जिससे यह साबित नहीं होता है कि विवादित आराजी की ही फोटो हों, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो की अप्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश की अवमनना की गई हुयी हों। अभिभाषक प्रार्थी को मान्नीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार, पुष्कर को एक तहरीर जारी गई है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2022 के स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करवायें, इस बाबत् भी तहसीलदार, पुष्कर के द्वारा कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है कि अप्रार्थीगण मौके पर प्रार्थीगण के हस्तक्षेप कर रहे है। इसलिए प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 05 ने भी दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र कन्टे. के मौखिक कथनो के आधार पर प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया कि न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना करने की कोई मंशा नही रही बल्कि उत्तरदाता हमेशा से न्यायालय के आदेश की पालना एवं सम्मान करता आया हैं। प्रार्थीगण के द्वारा अवमानना प्रार्थना–पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जबकि प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए था जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कन्टे. प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि जिससे यह ज्ञात हो कि अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 15.09.2022 की अवमानना की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 (2)(क) व सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर